राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
(जी–3, राजमहल पैलेस रेजीडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गौदाम, जयपुर–302015)
ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट-www.cmar-india.org टेली 0141–2222403 फैक्स-01412222805

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/29611 जयपुर, दिनांकः 20/07/17

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 325 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों में प्रभावशील विवाह स्थल उपविधियों में विवाह स्थल की परिभाषा में निम्न स्पष्टीकरण जोडे जाने का निर्देश प्रदान करती हैः–

स्पष्टीकरणः–" भूखण्ड से तात्पय ऐसी समस्त भूमियों/भूखण्डों से है जिनमें कृषि प्रयोजनसे धारित भूमि भी सम्मिलित है।"

अतः उक्त स्पष्टीकरण, स्वीकृति के अनुरूप विवाह स्थल हेतु लाईसेंस जारी किये जावे तथा लाईसेंस फीस की राशि नगर निगम के लिये ₹ 20.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष नगरपरिषद के लिये ₹ 15.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष व नगरपालिकाओं के लिये ₹ 10.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.9(ग)( )नियम/डीएलबी/17/29612-30,002 जयपुर, दिनांकः 20/07/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिकाए, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/ उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिकाएं, राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी